(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गौरव जैन वगै0 बनाम तहसीलदार पीपलू

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. 1956

प्रकरण संख्या 111 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9/6/25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।	
13/6/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/वादी स्वयं उपस्थित/पी.ओ. साहब अवकाश पे होने/अवकाश पद/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 20/6/25 पेश हो।	
20/06/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। अप्रार्थीगण फजलूर्रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान, रहीसुर्रहमान पुत्र अजीजुर्रहमान जाति मुसलमान निवासी हाडीकलां ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बनाये जाने पक्षकार प्रस्तुत कथन किया गया की प्रार्थीगण का आवेदन अपनी खातेदारी की आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु पेश किया गया है। पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान के द्वारा पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की खातेदारी की कुछ आराजीयात को अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 1822/1, 1823 में गया है, जबकि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1822/1, 1823 का आज से करीबन 10–15 वर्ष पूर्व सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिह्नो पर मेड कायम कर दी थी तथा मौके पर वर्तमान में आज भी आराजी पर मेड कायम है। प्रश्नगत आराजीयात जिसको लेकर प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसके अप्रार्थीगण लगवा पडौसी खातेदार है। प्रकरण के निस्तारण से पूर्व विधिक प्रावधानो के तहत् अप्रार्थीगण को उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, ताकि अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अपना पक्ष	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

20/06/25 रख सके तथा उक्त प्रकरण में किसी तरह के कोई एकपक्षीय आदेश अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना जारी नही किया जावे, नही तो अप्रार्थीगण को कई परेशानियो का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को उक्त प्रकरण मे पक्षकार बनाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया की प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 1822/2 रकबा 1.3657 हैक्ट. वाके ग्राम हाडीकलां की पत्थरगडी हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का हित व अधिकार नही है न ही अप्रार्थीगण उचित एवं आवश्यक पक्षकार है। यदि अप्रार्थीगण को अपनी आराजीयात का सीमाओ को लेकर किसी प्रकार की उज्र आपत्ति है, तो अलग से पत्थरगडी करवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र प्रार्थीगण की पत्थरगडी के आवेदन को उलझाने एवं देरी करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। उक्त प्रकरण समरी प्रोसेडिंग है। बरसात का समय है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे फसल काश्त करनी है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिती मे पत्थरगडी का आदेश प्रदान किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने बाबत् खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष ने बहस हेतु निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे बताया की पूर्व मे प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। सीमाज्ञान के द्वारा पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण की खातेदारी की कुछ आराजीयात को अप्रार्थीगण के खेत ख0न0 1822/1, 1823 मे गया है, जबकि अप्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1822/1, 1823 का आज से करीबन 10-15 वर्ष पूर्व सीमाज्ञान करवाकर सीमाचिह्नो पर मेड कायम कर दी थी तथा मौके पर वर्तमान मे आज भी आराजी पर मेड कायम है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

गौरव जैन .... बनाम .... तहसीलदार पीपलू

नाम मुकदमा .... नं. 111 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/06/25	प्रश्नगत आराजीयात जिसको लेकर प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिसके अप्रार्थीगण लगवा पडौसी खातेदार है। प्रकरण के निस्तारण से पूर्व विधिक प्रावधानो के तहत् अप्रार्थीगण को उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी की भी साथ–साथ पत्थरगढी के आदेश प्रदान करे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया की उक्त आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का हित व अधिकार नही है, न ही अप्रार्थीगण उचित एवं आवश्यक पक्षकार है। यदि अप्रार्थीगण को अपनी आराजीयात का सीमाओ को लेकर किसी प्रकार की उज्र आपत्ति है, तो अलग से पत्थरगढी करवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र प्रार्थीगण की पत्थरगढी के आवेदन को उलझाने एवं देरी करने की नियत से पेश किया है। प्रार्थीगण की उक्त विवादित आराजीयात से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। उक्त प्रकरण समरी प्रोसेडिंग है। बरसात का समय है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में फसल काश्त करनी है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया है की प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिती में पत्थरगढी का आदेश प्रदान किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने बाबत् खारिज फरमाया जावे। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20/06/25	पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा0पत्र का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त विवादित आराजीयात के अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नही है। पडौसी खातेदार होने के कारण पत्थरगढी में पडौसी खातेदारो की उपस्थिती आवश्यक होती है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पडौसी खातेदारो की उपस्थिती में ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश जारी करने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। चूंकि बरसात होने वाली है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण को विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। अप्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी हेतु पृथक से आवेदन कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक बाधा नही है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने बाबत् खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.06.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बीपलू (टोंक)
25/06/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप:। उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पश्चात प्रस्तुत प्रा:पत्र स्वीकार किया गया, निर्णय पृथक से लिखाया गया, जो शामिल है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी बीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner